HRA Sazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 3 — उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਜਂ. 31] No. 31] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 24, 2007/माघ 4, 1928

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 24, 2007/MAGHA 4, 1928

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2007

सा.का.नि. 42(अ). – भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 402 (अ), दिनांक 5 जुलाई, 2006, [सगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (पैकेजिंग और लेबलिंग) नियमावली, 2006] की अधिसूचना में :--

नियम 1 के उप-नियम (2) के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा नामत:—

"(2) ये 1 जून, 2007 से प्रभावी होंगे ।"

[फा. सं. पी-16011/7/2005-पीएच] भवानी त्यागराजन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)
CORRIGENDUM

New Delhi, the 24th January, 2007

G.S.R. 42(E).—In the notification of Government of India, Ministry of Health and Family Welfare, No. G.S.R. 402(E), dated 5th July, 2006, [Cigarettes and Other Tobacco Products (Packaging and Labelling) Rules, 2006], published in Part II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India, Extraordinary:-

For Sub-rule (2) of Rule 1, the following shall be substituted, namely:—

"(2) They shall come into force on the 1st June of 2007."

[F. No. P-16011/7/2005-PH] BHAVANI THYAGARAJAN, Jr. Secy.